**न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात**

मूलवाद सं० 70/2021

UPRN180011342021

बाबूलाल प्रजापति बनाम उमेश कुमार आदि

**निस्तारण प्रार्थना पत्र 16 ग 2 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी०पी०सी०**

दिनांक – 28/05/2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित।

प्रतिवादीगण उमेश कुमार, धर्मवीर व सत्यम की ओर से प्रार्थना पत्र 16 ग 2 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० मय शपथ पत्र 17 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अधिवक्ता महोदय पर पूरा विश्वास कररता रहा कि अधिवक्ता महोदय ने वाद की पैरवी व जवाबदावा आदि प्रस्तुत कर दिया होगा। अधिवक्ता महोदय स्वास्थ्य समस्या होने के कारण वाद की पैरवी करने में असमर्थ है। जिस कारण दिनांक 03/01/2024 को प्रतिवादीगण का अवसर समाप्त कर एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा एकपक्षीय आदेश को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि घोर आपत्ति है। परन्तु पत्रावली में विलम्ब न हो इसलिए आपत्ति प्रस्तुत नहीं करना है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि प्रतिवादीगण द्वारा अधिवक्ता महोदय के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण पैरवी में असमर्थ होना बताया गया है। उपरोक्त मामले को गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किया जाना उचित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 16 ग 2 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी०पी०सी० हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 16 ग 2 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी०पी०सी० 200/– रु० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाबदावा/आपत्ति दिनांक 14/07/2025 को पेश हो।

दिनांक – 28/05/2025

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2025.05.28 16:34:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court